

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक :- / / 2026

सं० सं०-17/ए 3-15/2014 /स्वा०, राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में संविदा के आधार पर कार्यरत निम्नांकित कुल-02 स्टेटिस्टिशियन की संविदा अवधि कॉलम-7 में अंकित तिथि तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिये विस्तारित की जाती है-

क्र० सं०	स्टेटिस्टिशियन का नाम/ अधिसूचना सं०	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	वर्तमान में संविदा अवधि समाप्ति की तिथि	संविदा अवधि विस्तार की प्रभावी तिथि	तिथि जब तक संविदा अवधि विस्तार किया जाना है
1	2	3	4	5	6	7
1	राहाम हुर्रैन 68(17) दि०-29/01/2016	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	07/12/1986	31/01/2026	01/02/2026	31/01/2027
2	श्री कैलाश नारायण ठाकुर 68(17) दि० 29/01/2016	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा	20/09/1971	10/02/2026	11/02/2026	10/02/2027

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०-17/ए 3-15/2014- 221(17) पटना, दिनांक :- 19/02/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ई०-गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार गजट के आगामी अंके में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सबधित सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिलो के जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राज्य के सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सबधित सभी सिविल सर्जन, बिहार/सबधित जिला के जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सबधित सभी स्टेटिस्टिशियन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 07, 08, 09 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
H